



Neutral Citation No. - 2026:AHC:4876

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 21613 वर्ष 2025

भूरेआवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : संजय कुमार द्विवेदी विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : आनन्द मोहन पाण्डेय, शा.अधि., राम राज मिश्रा

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल द्वितीय पूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
3. श्री संजय कुमार द्विवेदी, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से, श्री आनन्द मोहन पाण्डेय, विद्वान अधिवक्ता, सूचक की ओर से, तथा श्री सुनील कुमार, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से की सुनवाई की गई एवं अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन किया गया।
4. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 684 वर्ष 2024, धाराएँ 103(1), 3(5) बी.एन.एस. एवं 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, थाना बिठरी चैनपुर, जिला बरेली, के अंतर्गत विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
5. अभियोजन की कथा के अनुसार, आवेदक ने सह-अभियुक्त व्यक्तियों राजवीर, चंचल और पुट्टू के साथ मिलकर मृतक पर गोली चलाई बताई गई है, जिसे एक जेठे ने देखा। मृतक को रामूर्ति अस्पताल ले जाया गया जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।
6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है तथा वर्तमान प्रकरण में उस असत्य रूप से फँसाया गया है। प्राथमिकी लगभग सात घंटे विलम्ब से दर्ज की गई है तथा उक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं है।
7. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया कि आरोप मूलतः असत्य हैं। प्राथमिकी से पूर्व मृतक की पंचायत नामा कार्यवाही की गई थी, जो दिनांक 28.11.2024 को 00:30 बजे प्रारम्भ होकर 28.11.2024 को 01:45 बजे समाप्त हुई। मुख्य साक्षी श्याम बाबू इसमें पंच साक्षी संख्या 1 है, जबकि सूचक पंच साक्षी संख्या 4 है। उन्होंने उस अवस्था में आवेदक के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा तथा प्राथमिकी बाद में दिनांक 28.11.2024 को रात्रि 2:00 बजे सोच-समझकर दर्ज कराई गई। यदि आवेदक ने उक्त अपराध किया होता तो उसका नाम तत्काल आता।
8. आवेदक को दो प्रकरणों का आपराधिक इतिहास बताया गया है, जिसे स्पष्ट किया गया है। आवेदक दिनांक 9.12.2024 से जेल में निरुद्ध है तथा वह विचारण में सहयोग करने को तत्पर है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और विद्वान सूचक के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का इस आधार पर कड़ा विरोध किया कि आवेदक और सह-अभियुक्त राजवीर मुख्य हमलावर हैं क्योंकि उन्होंने मृतक पर अंधाधुंध गोलियाँ चलाई।
10. प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2020) 11 SCC 648 के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध अनेक आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार का आधार नहीं हो सकता।
11. "दोषसिद्ध होने तक निर्दोषिता की उपधारणा" का सुप्रसिद्ध सिद्धान्त, जमानत को नियम तथा कारावास को अपवाद की संकल्पना को जन्म देता है।
12. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा प्रत्याभूत किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को केवल इस आधार पर नहीं छीना जा सकता कि उस पर कोई अपराध करने का आरोप है, जब तक कि उचित संशय से परे अपराध सिद्ध न हो जाये। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 यह कहता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना किसी व्यक्ति के प्राण या दैहिक स्वतंत्रता का अपहरण नहीं किया जायेगा, और वह प्रक्रिया न्यायसंगत और युक्तियुक्त होनी चाहिए। उक्त सिद्धान्त को सर्वोच्च न्यायालय ने सतेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं अन्य, 2022 INSC 690 में पुनरुक्त किया है।
13. उपरोक्त विचार को दोहराते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 INSC 595 में पुनः इस बात पर बल दिया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त कि जमानत को दण्ड के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए, कभी नहीं भुलाया जाना चाहिए। अब उचित समय आ गया है कि न्यायालय इस सिद्धान्त को मान्यता दे कि "जमानत नियम है और जेल अपवाद है।"
14. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता कोई ऐसी असाधारण परिस्थिति प्रस्तुत नहीं कर सके जो आवेदक को जमानत से वंचित किये जाने को उचित ठहराती हो।
15. विधि का यह स्थापित सिद्धान्त है कि जमानत का उद्देश्य विचारण में अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता/राज्य विधि अधिकारी द्वारा कोई ऐसे भौतिक विवरण या परिस्थितियाँ प्रस्तुत नहीं की गईं जो यह सुझाएँ कि आवेदक न्याय से भाग सकता है, न्याय की प्रक्रिया को विफल कर सकता है, या अपराध को दोहराने, साक्षियों को धमकाने जैसी कोई अन्य परेशानी खड़ी कर सकता है।
16. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किये गये निवेदन, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य, पंचायत नामा रिपोर्ट से प्राथमिकी तक की उक्त विसंगति तथा प्राथमिकी दर्ज करने में सात घंटे के विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, न्यायालय प्रथम दृष्ट्या यह विचार रखता है कि आवेदक ने जमानत के लिए प्रकरण बनाया है। जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
17. आवेदक - भूरे, जो उपर्युक्त अपराध मामले में संलिप्त है, को सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका तथा प्रत्येक समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पूर्व जमानतदारों का सत्यापन किया जाये। (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के साक्षियों को दबाव में नहीं लायेगा/उन्हें

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



भयभीत नहीं करेगा। (iii) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष नियत तिथि पर उपस्थित होगा।

18. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का आधार होगा।

19. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत प्रदान करने में की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल) जनवरी 8, 2026 शालिनी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"